UPSP010141762025

न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम, सहारनपुर।
पीठासीन अधिकारी–श्रेय शुक्ला (उच्चतर न्यायिक सेवा)
फौजदारी निगरानी संख्या–529/2025

सन्तबीर सिंह पुत्र यशपाल सिंह निवासी ग्राम रायपुर कुण्डी थाना सरसावा जिला सहारनपुर।
.....निगरानीकर्ता।

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य
2. कंवरपाल पुत्र नामालूम ड्राईवर गौशाला ग्राम नवादा थाना सदर बाजार, सहारनपुर।
3. मोबीन पुत्र नामालूम चपरासी गौशाला ग्राम नवादा थाना सदर बाजार, सहारनपुर।
4. डा0 सन्दीप मिश्रा (पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी) नगर निगम, सहारनपुर।
5. दरोगा देवेन्द्र (तत्कालीन तैनात हसनपुर पुलिस चौकी, थाना सदर बाजार) सहारनपुर।

.....विपक्षीगण।

निर्णय

1– प्रस्तुत फौजदारी निगरानी निगरानीकर्ता सन्तबीर सिंह की ओर से प्रकीर्ण वाद संख्या 792/2024 सन्तबीर सिंह बनाम कंवरपाल आदि अन्तर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0, थाना सदर बाजार, जिला सहारनपुर में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहारनपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 24.09.2025 से क्षुब्ध होकर संस्थित की गयी है।

2– प्रार्थी/निगरानीकर्ता सन्तबीर सिंह ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 में कथन किया है कि प्रार्थी नगर निगम की गौशाला फतेहपुर जट नवादा में चौकीदार के रूप में कार्यरत है और उपरोक्त गोशाला में मेघपाल व मोबिन चपरासी के पद पर कार्यरत है तथा कंवरपाल ड्राईवर के पद पर कार्यरत है। उपरोक्त सभी लोग गौशाला में अपने कार्यों में अनियमितता बरतते हुए वही पर शराब पीते है जिसकी शिकायत प्रार्थी ने नगर निगम सहारनपुर के डाक्टर संदीप मिश्रा (पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी) से कर दी थी तो डाक्टर संदीप मिश्रा ने कहा कि इनके गलत कामो की विडियो बनाकर मुझे भेज देना। जबकि उपरोक्त विपक्षीगण और डाक्टर आपस में मिले हुए थे, जिसका आभास प्रार्थी को नहीं हुआ। प्रार्थी ने मेघपाल, मोबिन, कंवरपाल की जब वह रात में शराब पी रहे थे तब विडियो बनाकर डाक्टर को भेज दिया। दिनांक 23.07.2024 को प्रार्थी को मेघपाल का फोन आया कि कल से तुम्हे गोशाला आने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तुम्हें नौकरी से हटा दिया गया है। जबकि सेवा शर्तों के अनुसार बिना नोटिस दिये प्रार्थी को नौकरी से नहीं हटाया जा सकता है। दिनांक 24.07.2024 को समय करीब 7:00 बजे सुबह जब प्रार्थी गौशाला में अपना सामान उठाने गया और जैसे ही प्रार्थी ने अपना सामान गोशाला से उठाना शुरू किया तो ड्राइवर कंवरपाल व मोबिन ने प्रार्थी को पकड़ लिया और कमरे में खींचकर ले गये और तीनो विपक्षीगण ने प्रार्थी के साथ कमरे में बन्द करके

मारपीट किया और प्रार्थी की ऊपर की जेब में पड़े 1700/–रूपये व हाथ में पहनी एक सोने की अंगूठी जबरदस्ती निकाल ली। गौशाला में कार्य करने वाले श्रमिक सावन सिहं व निखिल ने प्रार्थी को बचाने का प्रयास किया परन्तु विपक्षीगण ने प्रार्थी को कमरे में अन्दर बन्द करके कुन्डी लगा दी। जब काफी समय तक विपक्षीगण ने प्रार्थी को बाहर नहीं निकाला तो प्रार्थी ने अपने फोन से नगर आयुक्त महोदय नगर निगम सहारनपुर में कॉल किया। उसके उपरान्त नगर आयुक्त महोदय ने अपने प्रयास से प्रार्थी को उपरोक्त विपक्षीगण से छुड़ाया। विपक्षी कंवरपाल ने प्रार्थी को धमकी दिया कि वह अनुसूचित जाति से सम्बन्धित है वह एस.सी./एस.टी.एक्ट व उसकी घरवाली गौशाला मे नौकरी करती है उससे छेड़ छाड़ के झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवा दूंगा। इस घटना की सम्पूर्ण जानकारी प्रार्थी ने नगर आयुक्त महोदय को व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर को पहले दस्ती दी थी परन्तु जांच दौरान डाक्टर संदीप मिश्रा ने पहले से ही रिपोर्ट लगवा दी कि गौशाला में कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। जबकि प्रार्थी को षड्यंत्र के तहत मारपीट की गयी है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी हसनपुर पुलिस चौकी इन्चार्ज देवेन्द्र से मिला। चौकी इन्चार्ज ने बताया कि डाक्टर संदीप मिश्रा यह लिखकर ले गये है कि गौशाला में कोई घटना घटित नहीं हुई है। मजबूर होकर प्रार्थी ने वाकात का प्रार्थना पत्र टाईप कराकर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर के यहाँ दिनांक 03.09.2024 को पेश होकर दस्ती दिया था। लेकिन आज तक भी प्रार्थी रिपोर्ट थाना हाजा पर दर्ज नहीं हुई और न ही विपक्षीगण के विरूद्ध कोई कानूनी कार्यवाही की गयी। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार कर विधिवत विवेचना कराये जाने की याचना की गयी है।

3– निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी में यह आधार लिया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 24.09.2025 खिलाफ कानून व खिलाफ वाकात है। विद्वान विचारण न्यायालय ने आदेश पारित करते समय पूर्ण तथ्यो का अवलोकन नही किया है और विधि विरूद्ध तरीके से आलोच्य आदेश पारित किया है। निगरानीकर्ता ने संबंधित थाना सदर बाजार पर रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु विद्वान विचारण न्यायालय में धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर थाने से आख्या मंगाई गयी। चूंकि मामले में सरकारी कर्मचारी संलिप्त थे और एक पुलिस कर्मी तत्कालीन हसनपुर पुलिस चौकी के दरोगा देवेन्द्र भी संलिप्त थे। इसी कारण मामले में कई तारीखो तक जानबूझकर पुलिस आख्या भी नही भेजी गयी तथा सरकारी कर्मचारियो ने आपस में साज करके व आपसी तालमेल से झूठी एवं गलत आख्या न्यायालय में प्रेषित कर दी, जिसके आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय ने पुलिस आख्या को ही आधार मानकर निगरानीकर्ता के उक्त प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया, जिससे निगरानीकर्ता की सख्त हकतलफी व नाकाबिले तलाफी नुकसान है, जबकि उक्त रिपोर्ट साजिश करके और सरकारी कर्मचारियो ने आपसी मिलीभगत करके कई महीने बाद न्यायालय भेजी है और उस रिपोर्ट में निगरानीकर्ता पर ही झूठे आरोप लगाये गये है, जिसे विद्वान विचारण न्यायालय ने सत्य मानते हुए प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। विद्वान विचारण न्यायालय का निरस्ती आदेश दिनांकी

24.09.2015 विधि विरूद्ध है। निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निरस्ती आदेश दिनांकी 24.09.2025 को निरस्त करते हुए मामले में विधिवत विवेचना करने के आदेश पारित करने की कृपा करे।

4– निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी के साथ विद्वान विचारण न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहारनपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 24.09.2025 की सत्यप्रतिलिपि दाखिल की गयी है।

5– विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह उल्लिखित किया गया है कि गौशाला से संबंधित विवाद है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विपक्षीगण कंवरपाल आदि के विरूद्ध किये गये कथनो के सत्यापन के संबंध में क्षेत्राधिकारी सदर, कार्यालय उपजिलाधिकारी सदर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय, सहारनपुर द्वारा प्रेषित आख्यानुसार निगरानीकर्ता/आवेदक द्वारा चौकीदारी के रूप में कार्य करते हुए अपने कार्य में लापरवही बरतने के कारण उसे हटाया गया । निगरानीकर्ता/आवेदक द्वारा विपक्षीगण ने उसे बन्धक बनाकर मारपीट करने, सोने की अंगूठी व पेन्ट की जेब से 1700/रूपये जबरदस्ती निकाल लेने आदि के लगाये गये आरोपो के परिपेक्ष्य में कोई पुष्टिकारक साक्ष्य उपलब्ध नही कराया है। वस्तुतः ऐसा प्रतीत होता है कि निगरानीकर्ता/ आवेदक द्वारा गौशाली की चौकीदारी में की गयी लापरवाही के कारण उसे गौशाला से निकाले जाने के दृष्टिगत उक्त प्रार्थना धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 असत्य कथनो के आधार पर संस्थित किया गया है।

6– विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था फौजदारी प्रकीर्ण याचिक संख्या 781/ 2012 निर्णय दिनांकित 19.03.2015 **श्रीमती प्रियंका श्रीवास्तव व एक अन्य बनाम उ0 प्र0 राज्य एवं अन्य 2001(45)ए0सी0सी0 पेज 50** पूर्ण पीठ व माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की पूर्ण पीठ द्वारा पारित विनिर्णय **रामबाबू गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (45)ए0सी0सी0 पेज 50** एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा **सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2008(59) क्रिमिनल लॉ जरनल पेज 472** में प्रतिपादित विधिक सिद्धान्तो एवं प्रस्तुत मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 विधिक रूप से पोषणीय न होने के कारण निरस्त किया गया है।

7– विधि का यह सुथापित सिद्धान्त है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 पर विचार करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 173(4) बी0एन0एस0एस0 की सत्यता पर विचार किये जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ संज्ञेय अपराध कारित हो रहा है यह देखे जाने की आवश्यकता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 173(4) बी0एन0एस0एस0 के सन्दर्भ में विधिक स्थिति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विधि व्यवस्था–**ललिता कुमार व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार ए0आई0आर0 2014 सुप्रीम कोर्ट 187** में स्पष्ट किया है लेकिन उपरोक्त के पश्चात माननीय न्यायालय ने विधि व्यवस्था–**प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** में यह निर्देशित किया है कि मजिस्ट्रेट को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग सजगता पूर्वक करना चाहिए ताकि कोई व्यक्ति उसका दुरूपयोग न कर सके। विधि व्यवस्था–**विनीत कुमार एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2017) 13 एस0सी0सी0 369** में माननीय न्यायालय ने कहा है कि Where application is presented with false allegations and malafide intention, due to personal grudge, the magistrate is not bound to order the police to investigate the case. विधि व्यवस्था–**इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बनाम एन0ई0पी0सी0 इंडिया लि0 एवं अन्य 2006 (6) एस0सी0सी0 736** में कहा है कि Any effort to settle civil dispute and claims

which do not involve any criminal offence by adopting pressure through criminal prosecution, should be
deprecated and discouraged.

8– In **M/S Indian Oil Corporation vs. M/S Nepc India Ltd. and others AIR 2000 SC 2780** the Hon'ble Supreme Court held that-

(i) A complaint can be quashed where the allegations made in the complaint, even if they are taken at their face value and accepted in their entirety, do not prima facie constitute any offence or make out the case alleged against the accused. For this purpose, the complaint has to be examined as a whole, but without examining the merits of the allegations. Neither a detailed inquiry nor a meticulous analysis of the material nor an assessment of the reliability or genuineness of the allegations in the complaint, is warranted while examining prayer for quashing of a complaint.

(ii) A complaint may also be quashed where it is a clear abuse of the process of the court, as when the criminal proceeding is found to have been initiated with malafides/malice for wreaking vengeance or to cause harm, or where the allegations are absurd and inherently improbable.

9– In **Chandrapal Singh and others vs. Maharaj Singh and other AIR 1982 SC 1238** the Hon'ble Supreme Court held that A Chargrined and frustated Litigants should not be permitted to give vent to their frustration by cheaply invoking jurisdiction of Criminal Court.

10– धारा 397 दं0प्र0सं0 यह उपबन्धित करता है कि :–

उच्च न्यायालय या कोई सेशन न्यायाधीश अपनी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर स्थित किसी अवर दण्ड न्यायालय के समक्ष की किसी कार्यवाही के अभिलेख को, किसी अभिलिखित या पारित किए गए निष्कर्ष, दण्डादेश या आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में और ऐसे अवर न्यायालय को किन्ही कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन से, मंगा सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है।

11– विधि व्यवस्था **Rajendra Rajoriya Vs. Jagat Narain Thapak 2018 (2) Supreme 100**, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि–The powers of the revesionary court have to be cumulatively understood in consonance with sections 398, 399 and 401 of Cr.PC which confers power on revesionary authority to examine correctness, legality or propriety of any findings, sentence or order.

12– विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि निगरानी न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि विचारण न्यायालय के आदेश में कोई विधिक त्रुटि न हो एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई Perverse finding न हो।

13– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Vinay Tyagi Vs. Irshad Ali, (2013) 5 SCC 762 (para 18)** में यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि **"**Normally, revisional jurisdiction should be exercised on a question of law. However, when factual appreciation is involved, then it must find place in the class of cases resulting in a perverse finding. Basically, the power is required to be exercised so that justice is done and there is no abuse of power by the court. Merely an apprehension or suspicion of the same would not be a sufficient ground for interference in such cases.**"**

14– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **(i) State of T.N. Vs. Mariya Anton Vijay, (2015) 9 SCC 294 (paras 65 & 66)**
(ii) Shamima Farooqui Vs. Shahid Khan, (2015) 5 SCC 705 में यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि Findings of facts recorded by lower court not to be altered by revisional court merely because another view on the same evidence is possible.

15– यह उल्लेखनीय है कि रिवीजन के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत विचारण न्यायालय के आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्यता के बारे में एवं विचारण न्यायालय की कार्यवाही की नियमितता के बारे में ही देखा जा सकता है अथवा परीक्षा की जा सकती है।

16– विचारण न्यायालय की पत्रावली का परिशीलन किया गया। निगरानीकर्ता के परिवाद पत्र के उत्तर में विपक्षीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष जो आख्या प्रस्तुत की गयी है उसके अनुसार परिवादी गौशाला में चौकीदार के रूप में कार्य कर रहा था। दिनांक 23.07.2024 में परिवादी स्वयं फोन करके गौशाला के प्रभारी अधिकारी डा0 संदीप कुमार मिश्रा को अवगत कराया कि एक आवारा कुत्ते ने गौशाला में घुस कर आइसोलेशन वार्ड में पड़ी बीमार गाय पर हमला कर दिया। परिवादी तथा प्रभारी अधिकारी के बीच हुई वार्तालाप के ऑडियो का भी अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में परिवादी द्वारा अपने कार्य में लापरवाही बरतने के कारण कार्य से हटाया गया। परिवादी के प्रार्थना पत्र के पृष्ठ सं. 2 में यह उल्लिखित है कि दिनांक 24.07.2024 को समय करीब 07:00 बजे सुबह जब परिवादी गौशाला में अपना सामान उठाने गया, क्योंकि परिवादी को नौकरी पर आने से मना कर दिया गया था जैसे ही प्रार्थी ने अपना सामान गौशाला से उठाना शुरू किया तो ड्राइवर कंवरपाल व मोबीन ने परिवादी को पकड़ लिया और कमरे में खींचकर ले गये और तीनों विपक्षीगण ने परिवादी के साथ कमरे में बंद करके मारपीट की और परिवादी की जेब में पड़े 1700/–रूपए व हाथ में पहनी एक सोने की अंगूठी भी जबरदस्ती निकाल ली, की पुष्टि हेतु उक्त दिनांक उपस्थिति व प्रत्यक्षदर्शी कर्मचारियों से पूछताछ की गयी व उनके बयान लिये गये जिसमें कर्मचारी श्री राजकुमार, श्री प्रदीप, अनस, सतपाल, शुभम, श्री श्रवण, नीटू, बिजेन्द्र, मोहित, विकास, अमित ने बताया कि परिवादी के द्वारा कर्मचारी मोबीन व कंवरपाल पर मारपीट व पैसे छीनने का आरोप पूर्णतः असत्य है तथा परिवादी की कहानी पूरी तरह मनगढंत है क्योंकि मारपीट व पैसे छीनने की कोई भी घटना गौशाला में नहीं हुई है। गौशाला कर्मचारियों द्वारा कथन किया गया कि परिवादी की लापरवाही के कारण ही गौशाला में गोवंश पर आवारा श्वान द्वारा हमला किया गया। इस प्रकार परिवादी स्वयं अपने कार्यों व दायित्वों का निर्वहन न करने का दोषी है तथा गौवंश की सुरक्षा संवेदनशील विषय है जिसके कारण ही उसे गौशाला से हटाया जाना भी उचित है।

17. क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय जनपद सहारनपुर की आख्यानुसार परिवादी नगर निगम सहारनपुर की गौशाला में ग्राम फतेहपुर जट निवादा में रात्रि में चौकीदार के पद पर वर्ष 2023 से सेवारत् था, गौशाला में नियुक्त मोबीन(चपरासी), कंवरपाल(ड्राइवर), मेघपाल(चपरासी) के पद पर कार्यरत है। परिवादी उक्त गौशाला से निकाल दिये जाने के उपरान्त दिनांक 24.07.2024 की प्रातः 07:00 बजे गौशाला से अपना सामान लाने के दौरान गौशाला में उपस्थित मोबीन व कंवरपाल उपरोक्त द्वारा परिवादी को बन्धक लिये जाने एवं परिवादी की सोने की अंगूठी व पेन्ट की जेब से जबरदस्ती 1700/–रूपए निकाल लेने आदि लगाये गये आरोपों के परिप्रेक्ष्य में परिवादी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कोई पुष्टिकारक साक्ष्य उपलब्द नहीं कराया गया है और ना ही लगाये गये आरोपों की जांच के मध्य पुष्टि हुई है।

18. वस्तुतः ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक द्वारा गौशाला की चौकीदारी में की गयी लापरवाही के कारण उसे गौशाला से निकाले जाने के दृष्टिगत उक्त प्रार्थना पत्र असत्य लगाये कथनों के

आधार पर संस्थित किया गया है। चूंकि जांच के दौरान परिवादी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी है। परिवादी द्वारा प्रथम दृष्टया ही मनगढंत एवं काल्पनिक कथनों के आधार पर उक्त प्रार्थनापत्र दिया गया है। परिवादी द्वारा कथन किया गया है कि विपक्षीगण ने उसे बन्धक बनाकर मारा–पीटा एवं उसकी सोने की अंगूठी तथा रूपए निकाल लिए परन्तु परिवादी ने अपने उक्त कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य एवं चिकित्सक का पर्चा आदि पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है। प्रथम दृष्टया परिवादी का प्रार्थना पत्र विपक्षीगण के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराकर उन पर दबाव बनाने व उन्हें समझौते हेतु बाध्य करने की मंशा से पूर्ण सोच–विचार कर व विधिक परामर्श प्राप्त करते हुए न्यायिक प्रक्रिया का भरपूर दुरूपयोग करते हुए प्रश्नगत प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया प्रतीत होता है, जो विधिक रूप से पोषणीय न होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

19– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश दिनांकित 01.10.2025 पारित करते समय समस्त तथ्यो एवं परिस्थितियो का विधिवत अवलोकन किया गया व न्याय मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के अवलोकन से प्रस्तुत प्रकरण में किसी संज्ञेय अपराध का कारित होना प्रतीत नही होता है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है, जिससे प्रस्तुत प्रकरण प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का कारित होना प्रतीत होता हो।

20– प्रार्थी द्वारा निगरानी में कोई भी ऐसा कथन नही किया गया है जिससे यह दर्शित हो कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित करने में कोई विधिक त्रुटि की गयी है। प्रार्थी द्वारा निगरानी में अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 173(4) बी0एन0एस0एस0 के कथने की पुनरावृत्ति की गयी है। यद्यपि निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी में विभिन्न विधि व्यवसथाओ का हवाला देते हुए यह कथन कि सूचना से संज्ञेय अपराध होना दर्शित होता है तो एफ0आई0आर0 दर्ज कर विवेचना करायी जानी आवश्यक है, सही है परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था Pryanka Srivastava and Another vs. U.P. and others SC 19 March 2015 Criminal Appeal no. 781 of 2012 में यह निर्देश दिया गया है कि धारा– 173(4) बी0एन0एस0एस0 की कार्यवाही करते समय न्यायालय का यह कर्तव्य है कि मामले के तथ्यो एंव परिस्थितियो का सम्पूर्ण एवं विधिवत परिशीलन करके और अपने न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग करेगा

21– साथ ही न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया है कि The power under section 156(3) warrants application of judicial mind. A court of law is involved. It is not the police taking steps at the stage of Section 154 of the code. A litigant at his own whim can not invoke the authority of the have free access to invoke the said power. It protects the citizens but when pervert litigations takes this route to harass their fellows citizens, efforts are to be made to scuttle and curb the same.

22– अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अवलोकन उपरांत यह प्रतीत होता है कि प्रस्तुत मामले में निगरानीकर्ता घटना से संबंधित तथ्यों एवं परिस्थितियों को न्यायालय में साबित करने में विफल रहा है एवं न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई भी तथ्य नहीं आया है जिससे धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 की कार्यवाही न्यायालय द्वारा की जाये।

23– विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं दाखिल अभिलेखों के आलोक में सुस्थापित विधिक सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत आदेश को पारित किया गया है। प्रश्नगत आदेश औचित्यपूर्ण एवं विधि सम्मत है और प्रश्नगत आदेश पारित करते समय विचारण न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में कोई त्रुटि नहीं की है, न ही कोई विधिक त्रुटि या अनियमितता प्रतीत होती है, जिससे विचारण न्यायालय के उपरोक्त आदेश से असहमति

व्यक्त की जा सके। निगरानी बलहीन है और निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

24– निगरानीकर्ता सन्तबीर सिंह द्वारा प्रस्तुत फौजदारी निगरानी संख्या–529/2025 निरस्त किया जाता है।

25– विद्वान विचारण न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद सहारपुर द्वारा प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या–792/2024 में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 24.09.2025 पुष्ट किया जाता है।

26– निर्णय की प्रति विचारण न्यायालय को अवलोकनार्थ प्रेषित की जाये। निगरानी की पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार प्रेषित की जाये।

दिनांकः–23.07.2026

(श्रेय शुक्ला)
(जे0ओ0 कोड यू0पी0 3845)
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 प्रथम, सहारनपुर।

27– आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांकः–23.07.2026

(श्रेय शुक्ला)
(जे0ओ0 कोड यू0पी0 3845)
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 प्रथम, सहारनपुर।

Digitally signed by Shrey Shukla
Date: 2026.07.25 16:38:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court